भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्नः सं. 117
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पणधारा विकास घटक का कार्यान्वयन

***117. श्रीमती भारती पारधी:**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पणधारा विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में विशेष रुप से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तथा महाराष्ट्र में प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे सहित ऐसी योजना के तहत आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से **(ङ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

*****

<u>'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पणधारा विकास घटक का कार्यान्वयन' विषय पर दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) तथा **(ख)** जी, हां।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना; आजीविका और वाटरशेड स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना; और क्रॉस लर्निंग और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना है।

(ग) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में योजना को जारी रखने को सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दे दी गई है। डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, 12303.33 करोड़ रुपये की कुल लागत से 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 1150 वाटरशेड परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (06.02.2025 तक) तक, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 4616.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित स्वीकृत परियोजनाओं और जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं की है, विभाग ने बालाघाट जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

(घ) पूरी की गई डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं की अन्य पक्ष एंड लाइन रिपोर्टों से पता चलता है कि परियोजना क्षेत्रों में सतही और भूजल की उपलब्धता, उत्पादकता में वृद्धि, वानस्पतिक आवरण, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और घरेलू आय में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

इसके अलावा, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 सहित 28 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय) डीएमईओ(द्वारा मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराया गया था। इस मूल्यांकन की रिपोर्ट में भी प्रमुख सकारात्मक प्रभावों की पुष्टि की गई है और कहा गया है कि योजना की प्रासंगिकता, परियोजनाओं का प्रभाव और इक्विटी संतोषजनक है। हालांकि, रिपोर्ट में परियोजनाओं के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की स्थिरता पर अधिक ध्यान देने का भी सुझाव दिया गया था, जिनका डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के संशोधित दिशानिर्देशों में उपयुक्त रूप से निराकरण किया गया था।

(ङ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में वाटरशेड विकास निधि के सृजन का प्रावधान है जिसका उपयोग वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु अनिवार्य शर्तों में से एक**,** वाटरशेड विकास निधि में लोगों का अंशदान है। इस निधि का उपयोग प्राथमिक हितधारकों के लाभ के लिए सृजित सामान्य परिसंपत्तियों की मरम्मत**,** रखरखाव और उन्नयन के लिए किया जाना चाहिए**,** जिसे मनरेगा आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग "जनभागीदारी" के माध्यम से समुदाय संचालित वाटरशेड विकास को साकार करने के लिए 5 फरवरी, 2025 से 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजना क्षेत्रों में आम लोगो की पहुँच के लिए "वाटरशेड यात्रा" नामक विशेष अभियान, चला रहा है।

विभाग, समीक्षा बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डब्ल्यूडीसी 2.0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभावी, त्वरित और समय पर समापन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों को, जहां आवश्यक हो, उनके हस्तक्षेप और पर्यवेक्षण के लिए सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर अ.शा. पत्र लिख रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन की गहन निगरानी के लिए परियोजना क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे और समीक्षा बैठकें तथा नियमित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुबंध

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पणधारा विकास घटक का कार्यान्वयन' विषय पर दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 117 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाएं और जारी केन्द्रीय निधि का राज्य-वार विवरण

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्रफल (लाख हे. में)	परियोजना लागत	केन्द्रीय हिस्सा	जारी केन्द्रीय निधि
1	आंध्र प्रदेश	59	2.44	555.31	333.19	137.09
2	अरुणाचल प्रदेश	68	1.51	422.56	380.31	254.92
3	असम	31	1.37	310.60	279.54	178.50
4	बिहार	35	1.72	440.97	264.58	154.95
5	छत्तीसगढ़	45	2.51	613.66	368.20	198.30
6	गोवा	5	0.20	55.96	33.57	6.57
7	गुजरात	51	2.92	687.81	412.68	250.47
8	हरियाणा	9	0.31	80.59	48.36	19.30
9	हिमाचल प्रदेश	26	0.54	151.20	136.08	55.77
10	झारखंड	30	1.48	393.53	236.12	132.46
11	कर्नाटक	63	2.90	679.61	407.76	348.79
12	केरल	6	0.26	73.26	43.95	30.16
13	केरल	85	5.10	1121.27	672.76	483.16
14	महाराष्ट्र	140	5.26	1251.14	750.68	408.97
15	मणिपुर	13	0.59	164.33	147.90	34.53
16	मेघालय	32	0.63	175.64	158.08	109.41
17	मिजोरम	20	0.50	138.88	124.99	79.86
18	नागालैंड	10	0.32	89.60	80.64	66.58
19	ओडिशा	53	2.94	759.96	455.98	346.40
20	पंजाब	7	0.29	80.83	48.50	15.36
21	राजस्थान	149	7.51	1858.85	1115.31	531.80
22	सिक्किम	6	0.20	56.00	50.40	30.00
23	तमिलनाडु	28	1.35	300.73	180.44	157.27
24	तेलंगाना	35	1.47	368.07	220.84	86.95
25	त्रिपुरा	19	0.32	89.60	80.64	55.80
26	उत्तरप्रदेश	56	2.64	580.67	348.39	135.30
27	उत्तराखंड	12	0.70	196.65	176.98	91.29
28	पश्चिम बंगाल	27	1.29	350.60	210.36	112.31
29	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	19	0.70	194.58	194.58	85.19
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	11	0.22	60.86	60.87	18.84
	कुल	**1150**	**50.16**	**12303.33**	**8022.68**	**4616.29**

*****